न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 354 / 2025 (GCMS: 2025/477)

1. **रामरतन** पुत्र श्री नत्थुराम निवासी रामसरा जाखडान, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **प्रेम यादव** पुत्र श्री ख्यालीराम निवासी सिद्धूवाला, पंचायत रामसरा जाखड़ान, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **महेन्द्र कुमार** पुत्र श्री हरीराम उम्र 44 वर्ष निवासी रामसरा जाखड़ान, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **रचना जाखड़** पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. **श्योप्रकाश** पुत्र श्री भजन लाल निवासी 1 डीबीएन–ए, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर**
2. जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

30.12.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 02, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.11.2025 से प्रकरण श्रीमान न्यायालय के आदेश को अपास्त कर, पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्तशुदा डीजल या उसकी राशि रचना जाखड़ के खाते में जमा करवाई जावे। यदि माननीय न्यायालय उक्त डीजल को रचना जाखड़ का मानता है तो उसे समस्त राशि दी जाये और यदि माननीय न्यायालय उक्त डीजल को रचना जाखड के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का मानता है तो भी उक्त समस्त डीजल की राशि रचना जाखड के खाते में ही अंतरित करने की प्रार्थना की है।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपना कथन में कथन किया कि दिनांक 12.12.2011 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को थाना चूनावढ़ से सूचना मिलने पर कि चक 22 एमएल में एक पिकअप जीप नंबर आरजे 13 जीए 6782 जिसने एक मोटरसाईकिल सवार को टक्कर मारी है, को रोका हुआ है जिसमें डीजल हो सकता है। इस सूचना पर प्रवर्तन निरीक्षक श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:35 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

द्वारा चक 22 एमएल पहुंचकर उक्त पिकअप का निरीक्षण उपस्थित गवाहों के समक्ष किया गया तो पिकअप के पीछे की तरफ लोहे की एक परमानेंट टंकी लगी हुई पायी गयी। टंकी को खोलकर देखने व सूंघने पर डीजल होना पाया गया। उक्त पिकअप जीप नंबर आरजे 13 जीए 6782 को उपस्थित पुलिस की सहायता से चूनावढ़ थाना में लाकर टंकी से जरिये मोटर डीजल निकालकर ड्रमों में भरकर नापा गया, नापने पर कुल 2000 लीटर डीजल व जीप की टंकी में 10 लीटर डीजल कुल 2010 लीटर डीजल पाया गया। उक्त जीप की तलाशी में वाहन रजिस्ट्रेशन व बीमा कॉपी भी पायी गयी जिसके अनुसार उक्त जीप का मालिक अप्रार्थी देवेन्द्र कुमार होना पाया गया। इस प्रकार देवेन्द्र कुमार व अज्ञात वाहन चालक द्वारा जीप में **निर्धारित स्टॉक सीमा 1000 लीटर से अधिक 2000 लीटर डीजल का अवैध भण्डारण व परिवहन कर राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्टस (लाईसेसिंग एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के क्लॉज 15 एवं मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल रेगूलेशन सप्लाईज एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ मॉलप्रैक्टिस) ऑर्डर 2005 ई की धारा 2(एफ)(7) क्यू, 3(6) की अवहेलना** करने पर उक्त वाहन आरजे 13 जीए 6782 व कुल 2010 लीटर डीजल को जरिये फर्द जब्ती जब्त करते हुए राजसात करने हेतु माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना चूनावढ़ में अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 222/2011 दर्ज करवायी गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा धारा 6 ए प्रकरण संख्या 193/2011 सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री लच्छीराम वाहन मालिक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 30.01.2012 की बहस में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में रामरतन का 700 लीटर, महेन्द्र कुमार का 500 लीटर व प्रेमयादव का 800 लीटर डीजल होना बताया किन्तु उक्त तीनों का कोई बिल पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी से बहस के दौरान भी इन व्यक्तियों के बिलों के बारे में पूछा गया तो बिल का नहीं होना स्वीकार [illegible]। इस प्रकार अप्रार्थी **देवेन्द्र कुमार ने न तो पुलिस के [illegible] के समक्ष, न ही न्यायालय के समक्ष डीजल क्रय [illegible] जिससे कि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र अविश्वसनीय माने गये [illegible] After thought प्रस्तुत किये है।** उसके द्वारा डीजल परिवहन व संग्रहण करने का कोई वैद्य प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2012 जब्तशुदा 2010 लीटर डीजल मय उक्त जीप व जीप में बनी लोहे की टंकी को राजसात करते हुए बाजार मूल्य अनुसार वाहन की एवज में 86,732/– रूपये जुर्माना लगाया गया जो कि राजसात किये गये डीजल की कीमत के अतिरिक्त है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया गया कि यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दे तो उसे पिकअप जीप नंबर आरजे 13 जीए 6782 मय टंकी नियमानुसार वापिस लौटा दी जायें।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी देवेन्द्र कुमार की माननीय सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर में दाण्डिक अपील संख्या 36/2012 पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 में उक्त अपील आंशिक रूप से ही स्वीकार की गयी तथा माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2012 में वाहन के राजसात की एवज में जुर्माना 86732/– संशोधित करते 30,000/– रूपये **जुर्माना वाहन की राजसात की एवज में लगाया गया तथा शेष आदेश अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के यथावत रखा गया।**

उनका आगे यह भी कथन है कि एफआईआर संख्या 222/2011 अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध, में पुलिस द्वारा श्योप्रकाश वाहन चालक के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें फौजदारी प्रकरण संख्या 524/2014 सरकार बनाम श्योप्रकाश में दिनांक 24.08.2016 में पारित निर्णय में अभियुक्त श्योप्रकाश पुत्र श्री भजनलाल जाति जाट निवासी डीबीएन ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 6 ए प्रकरण संख्या 06/2017 अनवान 1. श्योप्रकाश पुत्र श्री भजनलाल जाति जाट निवासी 1 डीबीएन ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर 2. रचना जाखड़ पत्नि स्व. श्री देवेन्द्र कुमार जाखड़ जाति जाट निवासी ग्रामसरा जाखड़ाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगं[illegible] माननीय न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक [illegible].2018 को वाहन की एवज में जमाशुदा जुर्माना राशि 30,000/– रु. **वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नी रचना जाखड़ को वापस लौटाये जाने तथा जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार व श्योप्रकाश के शपथ पत्रों के अनुसार उनका नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण को वापस नहीं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:35 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लौटाये जाने के आदेश पारित किया गया है। डीजल या डीजल विक्रय की राशि लौटाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण संख्या 43/2019 (जीसीएमएस न. 2019/00076) अनवान 1 रामरतन पुत्र श्री नत्थूराम, जाति जाट निवासी रामसरा जाखडान, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0) 2. प्रेम यादव पुत्र श्री ख्यालीराम जाति यादव निवासी सिद्धूवाला, पंचायत रामसरा जाखडान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज०) 3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति जाट उम्र 44 वर्ष, निवासी रामसरा जाखडान, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज0) 4. रचना जाखड पत्नी स्व० श्री देवेन्द्र कुमार निवासी पंचायत रामसरा जाखडान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज०) बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर में माननीय न्यायलय जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 28.09.2022 को पारित किया। उक्त निर्णय में अंकित है कि: धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि के प्रकरण में वर्तमान प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार कभी भी किसी भी प्रकरण में पक्षकार नहीं रहें और न ही उनके पक्ष/विपक्ष में कोई निर्णय पारित हुआ है तो वे इस न्यायालय में किस हैसियत से 2000 लीटर डीजल की राशि उन्हें लौटाये जाने के लिए उन्होने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है? यदि वास्तव में प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेंद्र कुमार का उक्त 2000 लीटर डीजल था तो उन्हें पूर्व के प्रकरणों में भी पक्षकार बनना चाहिए था और **यदि किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाता तो उन्हें उक्त 2000 लीटर डीजल अथवा उसकी विक्रय राशि उन्हें ही लौटायी जा सकती हैं किन्तु प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव व महेंद्र कुमार को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषमुक्त नहीं किया गया है।** माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.08.2016 से **अभियुक्त श्योप्रकाश पुत्र भजनलाल को ही धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया है।** इसलिए प्रार्थीगण को उक्त 2000 लीटर डीजल अथवा उसकी विक्रय राशि उन्हें नहीं लौटाई जानी उचित नहीं होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 श्रीगंगानगर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 14/2023 अनवान रामरतन वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय 19.11.2025 में अंकित किया है कि प्रार्थीया **रचना जाखड़ को डीजल न दिये जा सकने बाबत कोई**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विवेचन अथवा आदेश पारित नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में दाण्डिक अपील संख्या 14/2023 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2019 रामरतन वगैरह बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर में पारित आक्षेपित आदेश 28.09.2022 को अपास्त किया गया एवं प्रार्थीगण के आवेदन में अंकित पक्षकार जाखड पत्नि स्व० श्री देवेन्द्र कुमार की हद तक पुनः पक्षकारान को सुनकर एक माह में आदेश हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि रामरतन वगैरह पूर्व में किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे, न ही इनके पक्ष/विपक्ष में कोई आदेश पारित किये गये। यदि डीजल के स्वामी रामरतन वगैरह होते तो धारा 6ग(1) के तहत नियमानुसार साक्ष्य सहित निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। **प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा धारा 3/7 में उन्मोचन की प्रतीक्षा व इसके पश्चात् अपील संदेहास्पद मनः स्थिति स्पष्ट करती है।** अतः **प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मूल उद्देश्य आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी को रोकने के लिए कार्यवाही की गयी। प्रकरण रामरतन वगैरह में रचना जाखड़ व अन्य द्वारा डीजल स्वामी का वैध बिल /साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए जब्तशुदा डीजल पर किसी भी प्रार्थी का अधिकार नहीं बनता है। इसलिए जब्तशुदा डीजल राजसात करने योग्य है।**

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 02, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 19.11.2025 से प्रकरण में प्रार्थीगण के **आवेदन में अंकित पक्षकार रचना जाखड़ पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार की हद तक पुनः पक्षकारान को सुनकर एक माह में निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है।**

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 12.12.2011 को डीजल को भरी पिकअप नंबर आरजे 13 जीए 6782 में जीप में पीछे की तरफ लोहे की टंकी में डीजल भरा हुआ जब्त किया गया। उक्त जीप में कुल 2000 लीटर डीजल भरा पाया गया। जिसे राजसात करने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक **30.01.2012** के द्वारा उक्त वाहन **पिकअप नंबर आरजे 13 जीए 6782 व डीजल को राजसात करने के आदेश दिये गये थे, जिसे सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर** ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2012 से **इस न्यायालय के आदेश को पुष्ट करते हुए वाहन जुर्माना राशि कम कर 30,000/– कर दी थी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:35 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम **का मुख्य** उद्देश्य **आवश्यक वस्तुओं** की आपूर्ति **और वितरण को नियंत्रित करना है ताकि जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोका जा सके और आम जनता का हित सुरक्षित रहे।**

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा सरकार बनाम श्योप्रकाश फौजदारी प्रकरण संख्या 524/2014 में दिनांक 24.08.2016 को जारी आदेश में अभियुक्त **श्योप्रकाश पुत्र भजनलाल** जाति जाट निवासी 1 डीबीएन ए थाना सदर श्रीगंगानगर को, जब्ती की कार्यवाही में प्रक्रियात्मक खामी को केन्द्रित करते हुए धारा **3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित** किया गया।

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा सरकार बनाम श्योप्रकाश फौजदारी प्रकरण संख्या 524/2014 में दिनांक 24.08.2016 द्वारा श्योप्रकाश को उन्मोचित किया गया था इसलिए अप्रार्थीगण से जब्तशुदा वाहन नंबर आरजे 13 जीए 6782 उन्हें लौटाने के आदेश दिनांक 26.02.2018 को दिये गये थे, किन्तु अप्रार्थीगण स्व. श्री देवेन्द्र कुमार एवं श्योप्रकाश द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 23.01.2012 में उक्त डीजल अन्य व्यक्तियों रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार का होने के कारण उन्हें लौटाने के आदेश नहीं दिये गये।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2018 को पारित होने के पश्चात रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार ने पुनः 2000 डीजल लौटाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2019 पेश किया, जिस पर **इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2022 से प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार पूर्व के प्रकरणों में पक्षकार नहीं होने** एवं **न ही उन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा दोष** मुक्त **करने के कारण, उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था और** रचना जाखड़ पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार का प्रार्थना पत्र में नाम अंकित होने एवं किसी भी प्रकार अंगूठा/हस्ताक्षर न होने के कारण उसके पक्ष/विपक्ष में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया था।

वर्तमान में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 02, श्रीगंगानगर ने रचना जाखड़ पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कु... ...ई हेतु प्रतिप्रेषित किया है।

रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र ... पेश करने से **पूर्व किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे है** ... ही उनके **पक्ष/विपक्ष में कोई निर्णय पारित हुआ है** तो इस इस न्यायाल... किस हैसियत से 2000 डीजल की राशि प्रार्थी रचना जाखड़ पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार के खाते में अंतरित करने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है? अगर उक्त जब्तशुदा डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:35 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार का था, तो वे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ग(1) के तहत सक्षम न्यायालय में समयावधि में अपील कर सकते थे, **परन्तु रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार किसी भी न्यायालय में अपील पेश नही की और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त किया गया है। वर्तमान में इस न्यायालय को मात्र रचना जाखड पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार की हद तक की निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है** और इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 193/2011 अनवान् सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार में **स्व. श्री देवेन्द्र कुमार ने दिनांक 23.01.2012 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें स्व. श्री देवेन्द्र कुमार ने जब्तशुदा डीजल उसका नहीं होना अंकित किया है। चूंकि स्व. श्री देवेन्द्र कुमार के शपथ पत्र के अनुसार जब्तशुदा डीजल उसका नही है इसलिए उक्त जब्तशुदा डीजल रचना जाखड़ पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार का नही है। इसलिए जब्तशुदा 2000 डीजल प्रार्थी रचना जाखड़ पत्नी स्व. श्री देवन्द्र कुमार को भी लौटाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।** इसलिए प्रार्थीगण को डीजल/डीजल की राशि लौटाये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं इस न्यायालय की **पूर्व समस्त पत्रावलियों के साथ निर्णय की प्रति शामिल करते हुए पुनः जिला अभिलेखागार में जमा हो।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकार खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मन्जू)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:35 IST
Reason: SelfAttested